इस कार्यालय के आदेश कर्मांक शिखा/माता/संस्था/वी-2/45002/प्रमाण,/स्थान/2019 दिनांक
29.09.2019 द्वारा श्री अशोक कुमार ओझा, प्रभागाध्यायी, राजस्थानी उच्च माध्यमिक विद्यालय गैरमान, जिला भरतपुर का श्लोकान्तरण राजस्थानी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अकसिका तला फिला बागभूम द्वारा निर्णय निकाल दिया गया था जिसके विपरीत श्री अशोक कुमार ओझा द्वारा राजस्थानी राजस्थान विश्व एवं अनेक अधिकारियों, जयपुर में अपिल संख्या
4305/2019 अशोक कुमार ओझा का राजस्थान राज्य ने अन्य दावा की गई।
अपिल संख्या 4305/2019 में राजस्थानी अधिकारियों द्वारा परिवर्तित आदेश दिनांक 13.11.2019 द्वारा अपिलिकेशन अशोक कुमार ओझा को प्रस्तुत विनिमय का साक्षरता प्राप्त करने और प्रत्येक विद्यालय का साक्षरता प्राप्त विद्यालय का साक्षरता प्राप्त करने की इच्छा में उससे विविध अनुसरण, एक सन्दर्भ अंग्रेजी कार्यालय (REASONED SPEAKING ORDER) प्रस्तावित कर निरस्त करने को साक्षरता आदेश दिये गए।

राजस्थानी अधिकारियों के निर्देश के क्रम में अपीलर द्वारा प्रस्तुत अपिल दर्जन में स्वयं की संभालनीति में 2 वर्ष शेष होने एवं स्वरूप संबंधी कठिनाइयों के उद्देश्य जयपुर सहायता पीएम विश्वविद्यालय का आयोजन करेंगे अपने समस्यालय राष्ट्रीय अंतराल / गहड़ों / कैंसिलियर जिला भरतपुर में गैरमानियर बो देव पद्माकरतित्व किये जाने की मांग की गई।
अपीलर द्वारा प्रस्तुत अपिल दर्जन का राज्य संरक्षा व विनायक के दिशा-निर्देशों / परीक्षण / नियमों एवं माननीय अधिकारियों के निर्देश के प्रवृत्त में गहड़ों से अपालिंग के निर्देश गये। राज्य संरक्षा द्वारा नामांकन के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य संविदा के कार्यालयों में पूर्व: दूरदूर, 70 प्रतिशत के अधिक विद्यालय, फेसबुक, गुड प्रदर्शन, हददों साथ विक्षिप्त, विख्यात, परिवहन एवं शाह्दु व विभागों से बैठक आयोजन का आयोजन में माननीयता प्रदान किए जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलर के प्रकाश में इस कोई भी परिस्थिति के सामने निरस्त्र नहीं होता है जिससे उनकी मांग पर विचार किया जा सके।

उपर्युक्त परिस्थितियों के मददन्त रहने हुए अपीलर श्री अशोक कुमार ओझा द्वारा की गई मांग नियमानुसार नहीं होने के कारण उनका अपिल दर्जन आयोज किया जाकर निरस्त किया जाता है।

(हिमांशु मुंडा)
आई.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:---शिखा—मा./संस्था/वी-2/अशोक/अपिल/4305/2019
dिनांक 26-12-19
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—
1. विश्वविद्यालय, माननीय शिक्षा राज्य गैरमान, प्राधिकारिक कार्यवाही हेतु।
2. निजी संस्था, प्रमुख शासन संस्था, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संघीय निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जयपुर संबंध, जयपुर/जयपुर।
4. मुख्य विद्यालय, विद्यालय अधिकारी, भरतपुर/बागभूम।
5. मुख्य विद्यालय, विद्यालय अधिकारी, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री अशोक कुमार ओझा के श्लोकान्तरण राजस्थान राज्य का कार्यवाह करे जिसे में उनके विलुप्त सीरीज—17 निर्देशित कार्यवाही के प्रसार निर्माण जाना सुनिश्चित करवें।
6. विद्यालय अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भरतपुर/बागभूम।
7. संघीय गैरमान क्लब शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करवें।
8. विद्यालय अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
9. शहायक निदेशक, विधिद अनुगमन कार्यवाही हेतु।
10. सिस्टेम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभव को विमानवाह वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. अपीलर श्री अशोक कुमार ओझा को आदेश की पालनार्थ।